प्रेस विज्ञप्ति
02.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 30.06.2026 को मैसर्स ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (डीएमजीपीएल) से संबंधित तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में स्थित कुल 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कोयम्बटूर, कृष्णागिरि, मलप्पुरम एवं त्रिशूर जिलों में बहु-स्तरीय मार्केटिंग एवं पोंजी योजना से संबंधित धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई।

ईडी ने यह जांच तमिलनाडु पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि यह मामला मैसर्स ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड तथा इसके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, अर्थात् श्री एस. सतीश कुमार (वर्तमान में दिवंगत), श्रीमती गुणवती एवं मुगुन्थन नायर से संबंधित है। इन व्यक्तियों ने सॉफ्टवेयर परियोजनाओं/पैकेजों में निवेश के नाम पर प्रतिदिन उच्च प्रतिफल तथा 150 दिनों में निवेश की राशि दोगुनी करने का प्रलोभन देकर हजारों निवेशकों से भारी धनराशि एकत्र की। प्रारंभिक अवधि में निवेशकों को प्रतिफल का भुगतान किया गया, किंतु बाद में भुगतान में चूक होने लगी, जिससे निवेशकों को भारी आर्थिक क्षति हुई।

जांच में यह भी पाया गया कि मैसर्स डीएमजीपीएल की निदेशक श्रीमती गुणवती एवं उनके पति तथा कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री सतीश कुमार (वर्तमान में दिवंगत) कंपनी के प्रबंधन में सक्रिय रूप से संलिप्त थे तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मैसर्स डीएमजीपीएल के नाम पर आम जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये की जमा राशि एकत्र की। इसके अतिरिक्त, श्री मुगुन्थन नायर, जो कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, ने प्रचार-प्रसार बैठकों के आयोजन, लोगों को निवेश हेतु प्रेरित करने तथा भोले-भाले निवेशकों को झूठे आश्वासन देकर मैसर्स डीएमजीपीएल में निवेश कराने में सक्रिय भूमिका निभाई।

जांच के दौरान यह भी उजागर हुआ कि इस धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों ने "रिटर्न" अथवा "कमीशन" के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की, जिसका उपयोग बाद में अचल संपत्तियों, वाहनों तथा अन्य व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया। आरोपियों एवं उनके सहयोगियों से जुड़े बैंक खाते, सावधि जमा (एफडी) तथा अन्य वित्तीय साधनों की पहचान की गई है, जिनमें से अनेक को अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पहले ही फ्रीज़ किया जा चुका है।

तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डायरियां, डिजिटल अभिलेख तथा मैसर्स डीएमजीपीएल से प्राप्त कमीशन से खरीदी गई अचल संपत्तियों से संबंधित विवरण बरामद कर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त किए गए।

मामले में आगे की जांच जारी है।